न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/57 (57/2023) 223 आरटीएक्ट

1. सींगाराम पुत्र नानूराम
2. महेन्द्र पुत्र नानूराम
3. बालूराम पुत्र नानूराम
4. शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश
5. राकेश पुत्र औमप्रकाश
6. मंजू पुत्री औमप्रकाश
7. संजय पुत्र दीपचंद
8. अजीत पुत्र दीपचंद

} जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

– अपीलान्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. सरोज पुत्री बुधराम
2. सिलोचना पुत्री बुधराम
3. कमला पत्नी जगदीश प्रसाद
4. नन्दलाल पुत्र जगदीश प्रसाद
5. सुखेदव पुत्र जगदीश प्रसाद
6. ममता पुत्री जगदीश प्रसाद

} जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा त0 भादरा जिला हनुमागनढ

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2023

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा

प्रकरण संख्या 73/2017

अनवान सींगाराम बनाम बुधराम

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक – 20.7.23

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड के संबंध में पेश किया। वाद पत्र में रोही मौजा चक 6 एसडीआर की कुल 7.590 है0 नहरी भूमि जिसमें श्योलाल व प्रतिवादी बुधराम के नाम संयुक्त रूप से 200 हिस्सा दर्ज है शेष अन्य खातेदारों के नाम उनके हिस्सा के अनुसार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि श्योलाल व नानूराम दोनों की संयुक्त सरमाये से पैदा की हुई कृषि भूमि थी, जिसे श्योलाल व नानूराम बराबर काश्त करते थे। वर्तमान में भी वाद भूमि 200 हिस्सा भूमि में श्योलाल 1/2 हिस्सा पर तथा 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी एवं वादीगण संयुक्त रूप से काबिज हैं। अपीलाण्ट के पिता नानूराम का देहान्त 2005 में हो जाने पर अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा 5 व 6 ब0हि0 बराबर खातेदार काश्तकार हैं। लेकिन फरीकेन ने आपस में बैठकर के पारिवारिक समझौतानामा कर रखा है इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादी ने वाद पत्र में वर्णितानुसार खातेदार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा। वादीगण एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण ने राजीनाम पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने चक चक 2 एसडीआर की 7.590 है0 भूमि में मृतक प्रतिवादी बुधराम पुत्र नानूराम व श्योलाल पुत्र मानाराम के नाम 200 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। श्योलाल पुत्र मानाराम वादीगण के पिता स्व0 नानूराम काभाई था अपीलाण्ट के पिता नानूराम का देहान्त होने पर उपरोक्त भूमि में श्योलाल पुत्र मानाराम का नाम सही दर्ज कर दिया परन्तु नानूराम के हिस्सा की भूमि अकेले बुधराम पुत्र नानूराम के नाज दर्ज करदी जबकि उक्त भूमि में अपीलाण्ट व बुधराम के प्रत्येक 1/6 हिस्सा के हकदार थे। अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद खारिज कर दिया जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट ने उपस्थित आकर वाद का कोई विरोध नहीं किया व वाद में राजनीामा प्रस्तुत करके जरिये राजीनामा वाद डिक्री करने में अपनी सहमति दी। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजनामा तस्दीक किया गया एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजनामा विधि अनुसार था एवं राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद विचारण न्यायालय को मुताबिक राजीनाम वाद डिक्री करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में पैतृक कृषि भूमि के संबंध में था जिसमें केवल घोषणा का वाद मात्र धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही पेश किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वाद वादी स्वीकार किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णय करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं0 04/04 में मु0 नं0 31 किला नं. 1 ता 20 मु0 नं0 39 के किला नं0 17 ता 24 व मु0 नं0 40 के किला नं0 16, 25 की कुल 7.590 है0 नहरी खतोदारी जिसमें प्रतिवादी बुधराम व श्योलाल के नाम से 200 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में अपने हकों की घोषणा चाही है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी में उक्त वाद भूमि श्योलाल व बुधराम के नाम संयुक्त रूप से 200 हिस्सा दर्ज है। चूंकि वाद एवं अपील का किसी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है बल्कि सहमति प्रदान की है एवं अधीनस्थ न्यायलाय में उभयपक्ष ने दिनांक 08.03.2022 को राजीनामा पेश किया है जिसे तस्दीक किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट ने अपील एवं वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2023 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं चक 2 एसडीआर की जमाबंदी सम्वत 2071—74 के खाता सं0 04/04 में मु0 नं0 31 किला नं. 1 ता 20 व मु0 नं0 39 के किला नं. 17 ता 24 व मु0 नं0 40 के किला नं. 16, 25 की कुल 7.590 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें श्योलाल व प्रतिवादी बुधराम के नाम संयुक्त 200 हिस्सा दर्ज है, में अकेले प्रतिवादी के नाम 100 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी अकेले की बजाय वादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक ब0हिब0 1/6—1/6

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हिस्सा, वादी सं0 4ए से 4सी संयुक्त ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 व 6 ब0हि0ब 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीण भी 1/6 हिस्सा तथा बुधराम के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 सरोज का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सिलोचना का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 से 6 कमला, नंदलाल, सुखदेव, ममता संयुक्त रूप से ब0हिब0 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। उक्त 100 हिस्सा की बाबत प्रतिवादी अकेले के नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण सं0 1 ता 3 व 4ए से 4सी संयुक्त रूप से को ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 व 6 को बहि0ब 1/6 तथा प्रतिवादी को 1/6 हिस्सा को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इस खाता में दर्ज श्योलाल का 100 हिस्सा तथा अन्य खातेदार का हिस्सा एवं इन्द्राज यथावत रहेगा। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 2023/57 (57/2023) 223 आरटीएक्ट

1. सींगाराम पुत्र नानूराम 2. महेन्द्र पुत्र नानूराम 3. बालूराम पुत्र नानूराम 4. शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश 5. राकेश पुत्र औमप्रकाश 6. मंजू पुत्री औमप्रकाश 7. संजय पुत्र दीपचंद 8. अजीत पुत्र दीपचंद	जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरोज पुत्री बुधराम 2. सिलोचना पुत्री बुधराम 3. कमला पत्नी जगदीश प्रसाद 4. नन्दलाल पुत्र जगदीश प्रसाद 5. सुखेदव पुत्र जगदीश प्रसाद 6. ममता पुत्री जगदीश प्रसाद	जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा त0 भादरा जिला हनुमागनढ

— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2023

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 73/2017

अनवान सींगाराम बनाम बुधराम

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2023 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं चक 2 एसडीआर की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता सं0 04/04 में मु0 नं0 31 किला नं. 1 ता 20 व मु0 नं0 39 के किला नं. 17 ता 24 व मु0 नं0 40 के किला नं. 16, 25 की कुल 7.590 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें श्योलाल व प्रतिवादी बुधराम के नाम संयुक्त 200 हिस्सा दर्ज है, में अकेले प्रतिवादी के नाम 100 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी अकेले की बजाय वादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक ब0हिब0 1/6–1/6 हिस्सा, वादी सं0 4ए से 4सी संयुक्त ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 व 6 ब0हि0ब 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीण भी 1/6 हिस्सा तथा बुधराम के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 सरोज का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सिलोचना का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 से 6 कमला, नंदलाल, सुखदेव, ममता संयुक्त रूप से ब0हिब0 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। उक्त 100 हिस्सा की बाबत प्रतिवादी अकेले के नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण सं0 1 ता 3 व 4ए से 4सी संयुक्त रूप से को ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 व 6 को बहि0ब 1/6 तथा प्रतिवादी को 1/6 हिस्सा को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इस खाता में दर्ज श्योलाल का 100 हिस्सा तथा अन्य खातेदार का हिस्सा एवं इन्द्राज यथावत रहेगा। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.7.23 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमागनढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़